राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ0.टी0 एस0 परिसर के पीछे, झालाना लिंक रोड़, जयपुर –302017

क्रमांकः– प. 3( )/रा.सू.आ/लेखा/2025–26/ 354 दिनांकः– 22-01-2025

ई–बिड सूचना

संख्या 1 /2025–26

राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाऐं संविदा पर उपापन हेतु ऑन लाईन ई–बिड वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये आमन्त्रित की जाती हैं। बिड का विवरण निम्नानुसार है।:–

क्र. सं.	कार्य का नाम	विवरण
		अनुमानित लागत
1	18 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाऐं	27.60/–लाख
2	बिड प्रपत्र का मूल्य	500/–
3	RISL प्रोसेसिग शुल्क	500/– + GST
4	बिड आमंत्रणकर्ता	सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर
5	बिड प्रपत्र के डाउनलोड करने की दिनांक व समय	23.01.2025 सांय 6.00 बजे से 12.02.2025 प्रातः 06.00 बजे तक
6	बिड प्रस्तुत/अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	12.02.2025 मध्यान्ह 3.00 बजे तक
7	ई–बिड प्रपत्र का मूल्य, बोली प्रतिभूति राशि तथा RISL प्रोसेसिंग शुल्क हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय	12.02.2025 मध्यान्ह 03.00 बजे तक
8	बिड में तकनीकी प्रस्ताव खोलने की अन्तिम तिथि व समय	14.02.2025 मध्यान्ह 12.00 बजे तक
9	बिड के वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तथि व समय	तकनिकी बिड में सफल निविदादाताओं को समय पर सूचित कर दिया जायेगा।
10	बिड प्रपत्र इत्यादि डाउनलोड करने हेतु उपयोग में ली जानो वाली वेबसाईट का नाम	www.eproc.rajasthan.gov.in, ric.rajasthan.gov.in व http://sppp.rajsthan.gov.in
11	बिड प्रपत्र अपलोड करने हेतु उपयोग में ली जाने वाली वैबसाईट का नाम	www.eproc.rajasthan.gov.in,

ई–बिड शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर के पक्ष में तथा प्रकिया शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक आर.आई.एस.एल., जयपुर के पक्ष में देय होगा। ई–बिड से संबंधित समस्त विवरण वैबसाईट पर देखा जा सकता है। इच्छुक बिडर्स को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वैबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in, ric.rajasthan.gov.in व http://sppp.rajsthan.gov.inपर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

U.B.N. SIC2425SLOB00004

सचिव,
राजस्थान राज्य सूचना आयोग,
जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
ओ.टी.एस के पीछे जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

दूरभाषः 0141–0141–2719136

18 मशीन विद मैन के उपापन हेतु ई–बिड
" ई–बिड संख्या– 01/2025–26

" ई–बिड –प्रपत्र "

ई–बिड सूचना क्रमांकः दिनांकः

1. सचिव, **राजस्थान राज्य सूचना आयोग** राजस्थान, जयपुर के पक्ष में देय ई–बिड प्रपत्र का मूल्य : **500/–** का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक................................ दिनांक .... संलग्न है।
2. प्रबंध निदेशक, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज़ लिमिटेड, जयपुर के पक्ष में देय ई–बिड प्रक्रिया शुल्क (टैण्डर प्रोसेसिंग फीस) राशि **रू. 500/–** का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक.. दिनांक .... संलग्न है।

बोली प्रतिभूति राशि :–उपापन की विषयवस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत प्रतिभूति बोली होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें। राजस्थान के लघु उद्योगो की दशा में यह प्रदाय के लिए मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगो से भिन्न रूग्ण उद्योगो की दशा में जिनके मामले औद्योगिक एवं वित पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी।

3. तिथि जिससे ई–बिड प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकेगा :–**दिनांक 23.01.2025 समय सायं 6.00 बजे से।**
4. ई–बिड प्रपत्र डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि व समय :–**दिनांक 12.02.2025 को समय प्रातः 6.00 बजे तक**
5. बिडर द्वारा ई–बिड वेबसाईट पर अपलोड करने की अन्तिम **दिनांक 12.02.2025 को मध्यान्ह 3.00 बजे तक**
6. समिति द्वारा ई–बिड के तकनीकी प्रस्ताव खोले जाने की **दिनांक व समय :– दिनांक 14.02.2025 मध्यान्ह 12.00 बजे।**
7. तकनीकी रूप से सफल बिडर्स की वित्तीय बिड खोले जाने की दिनांक व समय से संबंधित जानकारी यथासमय ई–बिड वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
8. ई–बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता :–
   डाक का पता (अ)कार्यालय (मय टेलीफोन न. एवं ई–मेल आई.डी.)) ....
   (ब)फैक्ट्री (मय टेलीफोन न. एवं ई–मेल आई.डी.) ....
9. ई–बिड, सचिव, **राजस्थान राज्य सूचना आयोग** राजस्थान, जयपुर को सम्बोधित करते हुए www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in , ric.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जावेगी

निविदादाता के हस्ताक्षर

ई–बिड के संबंध में सामान्य निर्देश

बिडर द्वारा निम्नलिखित राशि सचिव, **राजस्थान राज्य सूचना आयोग** राजस्थान, जयपुर में नियमानुसार जमा करानी होगी:–

क्र. सं.	शुल्क विवरण	शुल्क	पक्ष में देय
1	बिड शुल्क	**500/-**	सचिव, **राजस्थान राज्य सूचना आयोग** राजस्थान, जयपुर
2	बोली प्रतिभूति	प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत	सचिव, **राजस्थान राज्य सूचना आयोग** राजस्थान, जयपुर
3	ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया शुल्क	**500 /- + GST**	MD, RISL, Jaipur

उपरोक्त राशि बिडर द्वारा सचिव, **राजस्थान राज्य सूचना आयोग** राजस्थान, जयपुर में दिनांक **12.02.2025** को मध्यान्ह **03.00** बजे तक बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक को भौतिक रूप से जमा कराना अनिवार्य है। उक्त निर्धारित समय/तिथि के पश्चात बिड शुल्क, ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया शुल्क एवं बोली प्रतिभूति घोषणा पत्र स्वीकार नहीं की जावेगी।बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जावेगा।

1. बिड जारी करने के उपरान्त, सभी प्रकार के संशोधन यदि अपेक्षित होंगे तो, eproc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर ही जारी किये जायेंगे। बिडर द्वारा वेब (ई–मेल) पर संशोधनों/स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
2. ई–टेन्डरिंग हेतु बिडर्स के लिए निर्देश

A. बिड में भाग लेने वाले बिडर को इन्टरनेट वेब साइट eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन बिड में भाग लेने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC, Type-II), इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट– 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक बिड में साइन करने हेतु काम आयेगा। बिडर उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सी. सी. ए. (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बिडर के पास E-Procurement Portal के लिए पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं हैं।

B. बिडर को बिड प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

C. इलेक्ट्रोनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बिडर यह सुनिश्चित कर लेवें कि बिड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बिड प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है।

D. यदि कोई भी बिडर इलैक्ट्रोनिक फार्मेट में बिड अपलोड करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय पर बिड अपलोड करने में असफल रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। विभाग की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

E. टेण्डर के प्रपत्रों/सूचियों में आवश्यक रूप से सभी पूर्तियाँ/इंद्राज कर ही इन्हें अपलोड करें।

F. ऑन लाईन बिड भरते समय संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप बिड प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए आर.आई.सी, जयपुर की जिम्मेदारी नहीं होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

10. ई–बिड को बिना कारण बताये स्थगित अथवा स्वीकार/रद्द करने का पूर्ण अधिकारसचिव, **राजस्थान राज्य सूचना आयोग** राजस्थान, जयपुर को होगा।

11. ई–बिड की अनुमानित लागत **रू. 27.60 लाख** है।

बोली प्रतिभूति का विवरण :– उपापन की विषयवस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत प्रतिभूति बोली होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें। राजस्थान के लघु उद्योगो की दशा में यह प्रदाय के लिए मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगो से भिन्न रूग्ण उद्योगो की दशा में जिनके मामले औद्योगिक एवं वित पुननिर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी।

12. बिड प्रपत्र शुल्क का विवरण :–

बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या	दिनांक	जारी कर्ता बैंक का नाम एवं पता	राशि रू.	बिड का पृष्ठ संख्या

13. बिड प्रक्रिया शुल्क का विवरण :–

बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या	दिनांक	जारी कर्ता बैंक का नाम एवं पता	राशि रू.	बिड का पृष्ठ संख्या

14. GSTIN **पंजीयन प्रमाण पत्र**का विवरण :–

प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक	वैधता अवधि	प्रमाण पत्र में उल्लेखित कार्यक्षेत्र	बिड का पृष्ठ संख्या

15. GST**समाशोधन प्रमाणपत्र (क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट)**का विवरण :–

प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक	वैधता अवधि	GSTपंजीयन प्रमाण पत्र का विवरण	बिड का पृष्ठ संख्या

16. अनुभव का विवरण :–

वर्ष	कार्यादेश देने वाली संस्था का नाम एवं पता	कार्यादेश की छाया प्रति संलग्न(हॉ/नहीं)	बिड का पृष्ठ संख्या
2022–23			
2023–24			
2024–25			

17. वार्षिक टर्न ओवर का विवरण :–

वर्ष	वार्षिक टर्न ओवर	चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा जारी प्रमाण की छाया प्रति संलग्न(हॉ/नहीं)	बिड का पृष्ठ संख्या
2022–23			
2023–24			
2024–25			

18. बिड प्रपत्र व बिड की शर्तें:–

क्र.सं.	विवरण	संलग्न(हॉ/नही)	बिड का पृष्ठ संख्या
1	**बिड प्रपत्र मय बिड संविदा की शर्तें**:– संलग्न निविदा प्रपत्र के अनुसार		

निविदादाता के हस्ताक्ष

19. राजस्थान की लघु ईकाई के रूप में बिड प्रस्तुत करने पर :–नियमानुसार छूट देय होगी

20. **Income Tax Permanent Account Number :–**

1	**Income Tax Permanent Account Number :–**		

21. बिडर द्वारा प्रस्तुत की गई ई–बिड में समस्त पृष्ठों की संख्या अंकित करते हुए संदर्भित Documents का विवरण पृष्ठ संख्या सहित अंकित करना होगा।

22. किसी भी विभाग में ब्लेक लिस्टेट/ डीबारमेन्ट नही होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

मैं/हम सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा जारी की गई ई–बिड **सूचना सं. 01 दिनांक 23.01.2025** में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है। बिड की शर्तो के अन्तर्गत बिड में वर्णित कार्य के पूर्ण करने हेतु मेरे/हमारे पास समस्त सुविधाएँ/संसाधन उपलब्ध है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

<u>निविदा संविदा की शर्तें</u>

नोटः— निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढना चाहिये तथा निविदा भेजते समय इसकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए, इन शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। इस निविदा/अनुबन्ध के क्रम में ली जाने वाली सभी आपूर्ति पर राज्य सरकार के भण्डार क्रय नियम सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (The Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013) प्रभावी होंगे/रहेंगे।

1. निविदादाताओं को निविदा सूचना, निविदा फार्म में दिये गये निर्देशों के अनुसार संबोधन तथा मुहर बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना चाहिये। प्रथम लिफाफा निविदादाता की तकनीकी/ वित्तीय योग्यता एवं निविदा प्रपत्र के सम्बन्ध में होगा तथा द्वितीय लिफाफा कार्य की दरों के उद्वरण से सम्बन्धित होगा (परिशिष्ठ 'ब')।

2. (अ) **तकनीकी प्रस्ताव** :—

(i) **<u>निविदा प्रपत्र मय निविदा संविदा की शर्तें</u>** :— निविदादाता को विभाग द्वारा जारी निविदा प्रपत्र एवं शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर शर्तो की स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर करने होंगे।

(ii) निविदायें कार्य के वास्तविक व्यापार कर्ता/अधिकृत एजेन्सी/फर्म को ही दी जायेगी। अतः वे एस.आर. 11 में घोषणा प्रस्तुत करेगें। (Annexure "E")

(iii). निविदादाताको कम्प्यूटर मय ऑपरेटर उपलब्ध कराने के संबंध मेंसरकारी संस्था/एजेन्सी का संबंधित विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा के साथ एजेन्सी रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें, इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। तथा इसके बिना प्रस्तुत निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।

(iv)**<u>टर्न ओवर प्रमाण पत्र/बैलेन्स शीट</u> :—** निविदादाता का विगत लगातार दो वित्तीय वर्षो (2023—24 से 2024—25) में कुल राशि रूपये 25.00 लाख का न्यूनतम टर्न ओवर होना अनिवार्य है। टर्न ओवर के सत्यापन हेतु गत दो वर्षो का संनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र/अंकेक्षित लेखे प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(v) निविदादाता को विगत तीन वित्तीय वर्षो (2022—23 से 2024—25) में से किसी एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 5 लाख रूपये मूल्य के बराबर का सरकारी/अर्द्धसरकारी राजकीय उपकमों/संस्थानों में कम्प्यूटर मय ऑपरेटरआपूर्ति करने का अनुभव होना चाहिए। अन्यथा वह तकनीकी/वित्तीय मापदण्ड के आधार पर अयोग्य माना जाएगा एवं उसके किसी भी वित्तीय प्रस्ताव को नहीं खोला जाएगा।

(vi). निविदादाता का जयपुर नगर निगम की सीमा में कार्यालय होना आवश्यक है। इसके लिए निविदा के साथ कार्यालय पते के विवरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक होगा।

(vii)**<u>निविदादाता फर्म को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न</u>** Annexure **<u>हस्ताक्षरित कर निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।</u>**

निविदादाता के हस्ताक्षर

(viii) पूर्व मे कम्प्यूटर मय ऑपरेटरके लिये किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नही होने का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करना होगा। (Annexure "F")

<u>उक्तानुसार आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण–पत्रों का क्रम व्यवस्थित रूप में (i) से (ix) के अनुसार हो।</u>

(ब) **दर प्रस्ताव :–**

(i). आदेशित कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि के सम्बन्ध में समस्त अधिकार सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग,जयपुर के पास सुरक्षित रहेंगे।

(ii). **निविदा के साथ संलग्न सूची((Annexure "H") में वर्णित** कम्प्यूटर विद मैन(Computer with Man) **की एकल दरें ही मान्य होगी, एक से अधिक दरें देने पर सम्बन्धित आईटम की दर अस्वीकार्य होगी।**

(iii). निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों समस्त कर सम्मिलित होगें।

3. वित्तिय निविदा खुलने के उपरान्त सफल न्यूनतमदर निविदादाता द्वारा यदि बिड परफोरमेंस सिक्यासेरिटी जमा नहीं कराई जाती हैं तथा निर्धारित अवधि तक अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया जाता है। अथवा कार्य प्रारम्भ निश्चितअवधि तक नहीं किया जाता हैं तो क्रय समिति को ऐसी दोषी फर्म के विरूद्ध आर.टी.पी.पी. के नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ऐसी न्यूनतम दर प्रथम वाली फर्म को डीबार घोषित किया जाकर न्यूनतम द्वितीय फर्म या अगली फर्म से न्यूनतम दर पर कार्यकरवाये जाने का क्रय समिति को अधिकार होगा।

4.. निविदा प्रारूप स्याही से या टंकण से भरा जायेगा। पैंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता, निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

5. दरें नियत स्थान पर शब्दों एवं अंको दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ (Errors) एवं/या उपरी लेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी आवश्यक हो तो वे स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। दरों में राजस्थान/केन्द्रीय बिक्री कर पृथक से दिखाया जाना अनिवार्य है।

6. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में, अंकों एवं शब्दों में वर्णित दरों में अन्तर नहीं होना चाहिए अन्तर होने की स्थिति में, जो भी दर कम होगी, उस पर विचार किया जावेगा।

7. निविदायें, उनके खोले जाने की तिथि से 90 दिवस की अवधि तक के लिए विधि मान्य होगी।

8. आपूर्तिकर्ता अपनी संविदा को या किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप–भाडे (सब–लैट) पर नहीं देगा।

9. अनुलग्नक संख्या I के अनुसार कम्प्यूटर मय ऑपरेटर **निर्धारित स्पेसिफिकेशन एवं शर्तों के अनुरूप कम्प्यूटर व अन्य सामग्री एवं निर्धारित योग्यताधारी कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराना आवश्य होगा। उपकरणों को हमेशा चालू हालत में रखा जाएगा। मरम्मत की आवश्यकता होने पर 2 दिवस में सुधार किया जावे एवं तब तक अन्य उपकरण की व्यवस्था करना निविदादाता की जिम्मेदारी होगी जिसे 24 घण्टे में करवाया जाये।**

10. सभी कार्य आयोग में उपस्थित रहकर किये जाने हैं।

11. कम्प्यूटर पर कार्य हिन्दी एवं अग्रेजी दोनों में कराया जा सकेगा। स्टेशनरी, टोनर आदि विभाग द्वारा ही उपलब्ध कराई जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

12. कम्प्यूटर पर कार्य सामान्यतयः प्रातः 9.30 बजे से 6 बजे तक कार्यालय में कराया जावेगा। अतः कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्यालय समय में आवश्यक रूप से उपस्थित रहना होगा। विशेष परिस्थिति में कार्यालय समय के पूर्व व पश्चात् भी कार्य कराया जा सकेगा जिसके लिए अलग से कोई पारिश्रामिक अथवा शर्त मंजूर नहीं होगी।

13. अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिये अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को निर्णित करने के संबंध सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग,जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा जो निविदादाता को मान्य होगा।

14. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के संबंध में प्रस्तुत की गई दरें अनुबंध निष्पादन किये जाने की तिथि 1 मार्च 2025 से 28 फरवरी 2026 तक के लिए मान्य होगी। आर. टी. पी. पी. नियम 2013 के अनुसारउक्त अवधि को पारस्परिक सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।

15. **बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security Amount)**

(1) उपापन की विषयवस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत प्रतिभूति बोली होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें। राजस्थान के लघु उद्योगो की दशा में यह प्रदाय के लिए मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगो से भिन्न रूग्ण उद्योगो की दशा में जिनके मामले औद्योगिक एवं वित पुननिर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी।

16. **बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण** :–बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में सम्पहरण कर लिया जाएगाः–

(1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(3) जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता हो।

(4) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार कम्प्यूटर विद मैन(Computer with Man) उपलब्ध कराने में असफल रहता हो।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(5) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों (राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

17. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति :–** कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

(1) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत या जैसी कि बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट की जाये, होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम की 1 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, के मामले में यह प्रदाय आदेश की रकम का 2 प्रतिशत होगी।

(2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी:–

(क) '' ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा,''

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैकर चैक,

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो । बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकर की जायगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से संस्था के नाम अंतरित की जायेगी

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की गारंटी/गांरटियॉ। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(ड) किसी अनुसूचित बैंक नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते विभाग (सचिव, **राजस्थान राज्य सूचना आयोग** राजस्थान, जयपुर) के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। विभाग नियत जमा रसीद को स्वीकार करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा की बोली लगाने वाला बैंक की ओर से विभाग को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति के अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य संम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा मे नियत जमा ऐसी जमा नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

(3) उप–नियम (3) के खण्ड (ख) से (ङ) के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वारंटि बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

18. **भुगतान** :–

(1) राशि का भुगतान दिये गये आदेश के अनुरूप कार्य सम्पादन करने के उपरान्त ही दिया जाएगा।

(2) भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएगें।

(3) नियमानुसार देय भुगतान पर स्त्रोत पर कर कटौती की जाएगी।

(4) निविदादाता द्वारा अंकित की गई दर में सभी प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होंगे।

(5) निविदादाता द्वारा कार्मिकों को माह के 7 तारीक तक अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा।उसके पश्चात् ही आयोग द्वारा फर्म को भुगतान किया जावेगा।

19. **शास्ती (Penalty)**–यदिकम्प्यूटर मय ऑपरेटर सेवाओं में कमी या कार्य असंतोषप्रद होना परिलक्षित होता है तो निम्नानुसार दण्ड/शास्ती का प्रावधान रहेगा–

(i) अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सेवाऐं सुचारू एवं उचित रूप से नहीं होने पर प्रथमतः कार्य में अपेक्षित सुधार करने के लिए सेवाप्रदाता को 2 दिवस के लिए लिखित नोटिस दिया जाएगा।

(ii) उक्त नोटिस के उपरान्त भी 2 से 5 दिवस तक कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रति कम्प्यूटर विद मैन(Computer with Man) के लिए प्रतिदिन राशि रूपये 200/–शास्ती के रूप में वसूलनीय होगी।

(iii) यदि उक्त अवधि में विभाग में अनुबंधित सेवाओं/कम्प्यूटर मय ऑपरेटरके लिए विभाग के स्तर से कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है तो उसके लिए किये गये वास्तविक व्यय की वसूली निविदादाता/ठेकेदार को देय राशि में से की जाएगी।

(iv) उक्त 5 दिवस की अवधि के पश्चात् भी कम्प्यूटर मय ऑपरेटरसेवाओं में अपेक्षित सुधार नहीं होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त करते हुए कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

(v) शास्ती की वसूली निविदा संविदा की शर्त संख्या 18 के प्रावधानानुसार निविदादाता को देय भुगतान/ कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से की जा सकेगी।

(vi) यदिकार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि से पैनल्टी/शास्ती काटी जाती है तो अनुबंधकर्ता का कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि की पूर्ति हेतु पैनल्टी/शास्ती के रूप में काटी गई राशि अविलम्ब जमा कराकर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि की पूर्ति करनी होगी।

(Vii) यदि कम्प्यूटर मय ऑपरेटर कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाताओं के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

20. यदि निविदादाता ऐसी शर्तो को आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा का संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्ध कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

21. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/निविदादाता से कम्प्यूटर मय ऑपरेटरकी मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

22. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–
 i यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशीप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
 ii यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीकृत संख्या एवं उसका वर्ष सहित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति।
 iii एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
 iv कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।
23. **निविदा प्रक्रिया में तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे।**
24. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तो के उल्लघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह प्रकरण विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा एवं इसमें अन्तिम निर्णय विभागाध्यक्ष का ही होगा, जो कि निविदादाता को मान्य होगा।
25. अनुबंध अवधि के दौरान यदि ऐसी कोई परिस्थिति अथवा नियम लागू होते हैं, जिनका उपाबंध दर अनुबंध की शर्तों में नहीं हैं, तो उनका निराकरण उस समय के प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाएगा। नियमों में इस संबंध में व्यवस्था नहीं होने पर सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाएगा, जो अनुबंधकर्ता फर्म को मान्य होगा।
26. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार सरकार या निविदादाताओं द्वारा जयपुर (राजस्थान) में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी।
27. अंकेक्षण के दौरान यदि निविदादाता के विरूद्व किसी प्रकार की बकाया राशि निकाली जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता द्वारा की जावेगी। अन्यथा ऐसी स्थिति में कार्यालय में उपलब्ध कार्य सम्पादन प्रतिभूर्ति राशि में से उपरोक्त बकाया राशि का समायोजन कर लिया जावेगा।
28. स्वीकृत निविदादाता अनुबन्ध के अन्तर्गत स्वयं के कर्मचारियों का देय वेतन, भत्तो एवं कार्यो के दौरान उत्पन्न जोखिम एवं हानियों की क्षतिपूर्ति और राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी एक्ट और लेबर एक्ट और अन्य प्रचलित कानून के तहत लागू प्रावधानों की पालना के लिये उत्तरदायी होगा। इस प्रकार के प्रावधानों की अनमानना के लिये एजेन्सी/संस्था व्यक्तिशः जिम्मेदार होगी। कार्यालय इस बारे में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।
29. यदि सेवा एजेन्सी के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और उसमे कार्यालय जयपुर या अन्य अधिकारी को पक्षकार बनाता है तो इस कार्यालय पर पडने वाले समस्त आर्थिक भार संवेदक को वहन करना होगा।
30. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑपरेटर की किसी भी कारण मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी भी रूप में दुर्घटना/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का भार संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। इसके लिये इस कार्यालय द्वारा कोई भार वहन नही किया जावेगा।

मैं/हम सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा जारी की गई **निविदा सूचना सं.01 दिनांक 15.01.2025** में वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है। साथ ही बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच/मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गयी है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि निविदा प्रक्रिया या निविदा प्रक्रिया के पश्चात किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी निविदा/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरूद्ध कानून/विधि सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

मै/हम कार्यालय सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा में वर्णित सभी शर्तों से तथा सीट में दी गई उक्त निविदा की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है। सभी शर्तों को स्वीकार करने प्रमाण स्वरूप मैने/हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कम्प्यूटर आपरेटर निविदा हेतु विशेष अतिरिक्त शर्तें

1 राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीयन विवरण प्रस्तुत करना होगा।

2 सन्देश वाहक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगीं

कस	सेवा का नाम	श्रमिको देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर कम नही होगी मद संख्या				ई.पी.एफ दर प्रतिशत	ई.एस. आई दर प्रतिशत	सामाग्री राशि उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		श्रमिको की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर प्रति	श्रमिको की संख्या	राशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कम्प्यूटर मय आपरेटर	उच्च कुशल	9334/–	18	168012/–	नियमानुसार	नियमानुसार			

उपर्युक्त तालिका में स्तभं संख्या 1–8 की पूर्तियां संबंधित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जावेगी,तथा केवल स्तम्भ संख्या 9,10 व 11 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियॉ की जा सकेगी।

3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1945(केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित सवेदक का होगा।

4. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियमन 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होगें। पंजीकरण प्रमाण–पत्र सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुये बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जावेगी।

5. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालीन (Part Time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अशंकालीन सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुये संबंधित उपापन संस्था द्वारा बिड संबंधी कार्यवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालीन मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिये ली जावेगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जावेगी।

6. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टे प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (ओवरटाईम) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जायेगा।

7. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में किया जावेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्ठि होने पर ही संवेदक का आगामी माह के बिल भुगतान किया जावेगा। संवेदक द्वारा प्रत्येक माह के लिये कार्मिको के लिऐ पारिश्रमिक के नामवार काटी गई पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0 राशि के संबंध में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिमाह देना होगा कि विगत माह में काटी गई पी0एफ0, ई0एस0आई0 की राशि तथा नियमानुसार देय जी0एस0टी0 की राशि का भुगतान किया जाना शेष नही है। सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा कार्य सम्पादन हेतु कार्यादेश में वर्णित संख्या में मैन पावर/मशीन उपलब्ध कराई जावेगी। यदि किसी समय सेवाप्रदाता एजेन्सी कार्यादेश अनुसार मैन पावर/मशीन

उपलब्ध नही कराई जाती है तो सेवाप्रदाता अनुबंध में अनुमोदित राशि के आधार पर कम उपलब्ध कराये गये मैनपावर/मशीन की अनुपस्थिति अवधि की राशि की गणना कर आंकलित राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि शास्ति के रूप में बिल में से काटी जावेगी।

8. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा इस संबंध में श्रम विभाग को सूचित किया जावेगा और शिकायत सही पाये जाने पर अनुबंध निरस्त करने और संवेदक को डीबारमेन्ट की कार्यवाही की जावेगी।
9. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर से श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अंतर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
10. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआई जमा कराना होगा,जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ईपीएफ एवं ईएसआई की अशंदान राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
11. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display boards लगाये जायेंगें जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि,कार्य की प्रगति,श्रमिकों हेतु (Help Line) नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
12. राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआई जमा कराने का कर दायित्व संवेदक का होगा।
13. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवाकर ;ळैज्द्ध का भुगतान नही किया जावेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवाकर (GST) के संबध में उत्पन होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
14. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों,उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों,उपनियमों व अधिसूचनाओं दिशा–निर्देशों का पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।
15. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्युनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित (श्रमिक नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।
16. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने नोटिस वेतन छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

17. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा अपने कार्मिकों को नियमानुसार दिये जाने वाला पारिश्रमिक प्रत्येक माह की 7 तारीक तक आवश्यक रूप से उनके बैंक खातों में जमा कराया जावेगा। चाहे विभाग से किसी भी कारण से सेवाप्रदाता एजेन्सी का देरी से भुगतान प्राप्त क्यों न हो किसी भी स्थिति में 7 दिवस के भीतर कार्मिकों को भुगतान नही करने पर इसके उपरान्त के दिनों की 1 प्रतिशत अधिकतम 5 प्रतिशत की राशि की दर से शास्ति देय होगी जो कि आगामी बिलों से उक्त शास्ति को समायोजित किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ______________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ______________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

निविदादाता के हस्ताक्षर

(Annexure "E")

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के लिए निविदा दी है उनका/उनके मैं/हम वास्तविक व्यापारकर्ता/अधिकृत एजेन्सी/फर्म हूँ/हैं।*

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपह्रत कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

* जो लागू हो उसे ✓ करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(Annexure "G")

Form of Bid~Securing Declaration

Date:
Bid No. :
Alternative No. :

To:
....
....

We, the undersigned, declare that:
We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition ofBid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply ofthe goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.
We understand this Bid Securing Declaration shall expire if:-

(I) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation ofthe procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed.:--
Name :--
In the capacity of :----------------------------
Duly authorized to sign the bid for and on behalf of:
Dated on day of
Corporate Seal --

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid,]

निविदादाता के हस्ताक्षर

(Annexure "H")

Financial Bid Format (वित्तीय निविदा प्रपत्र)

कस	सेवा का नाम	श्रमिको देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर कम नही होगी मद संख्या				ई.पी.एफ दर प्रतिशत	ई.एस. आई दर प्रतिशत	सामाग्री राशि उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		श्रमिको की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर प्रति	श्रमिको की संख्या	राशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कम्प्यूटर मय आपरेटर	उच्च कुशल	9934/–	18	168012/–	नियमानुसार	नियमानुसार			

1. सफल न्यूनतम निविदादाता का निर्धारण उपयुक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 09 एवं 10 के अनुसार किया जायेगा।
2. जी.एस.टी. की दर पृथक से अंकित की जावें।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(Annexure "I")

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर हेतु आवश्यक दिशा निर्देश:–

1. Machine Specification:-

   A. Computer Specification:- Intel core 13/10th generation or computer of higher speed, RAM 4GB or higher, Hard disk 500 GB or 250 GB SSD/higher, 19" (inch) TFT/LCD/LED Monitor or higher, 200/1000Mbps LAN card or higher, Standard keyboard, Optical Mouse, Standard Serial-Parallel and USB Port, Windows 10 or higher, Antivirus Software, Pre-installed MS-Office, Contractor shall bear resposibility for the software license.

   B. Black &White Laser Printer with speed 18ppm or higher.

   C. UPS-Online/Offline UPS for above computer and printer with 30 minutes of battery backup.

   D. Machine: Year of Manufacturing should not be more than 3 years old.

2. Man Power:

   The Personnel should be graduate with RSCIT certificate and should have a knowledge to operate computer in Windows, environment. Good knowledge in MS-Office and Internet Opeations and sufficient typing speed in English and Hindi.

   ऑपरेटर का इन्टरव्यू/टेस्ट आयोग के अधिकारी द्वारा लिया जायेगा उपयुक्त पाये जाने पर ही नियुक्ति की जायेगी।

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)
1. Particulars of appellant:
 (i) Name of the appellant:

 (ii) Official address, if any:

 (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
 (i)
 (ii)
 (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सूचना आयोग

ओ.टी.एस. परिसर के पास, झालाना लिंक रोड़, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302017
(टेलीफैक्स–0141–2719136)

राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार के कार्यालय एवं अन्य प्रतिष्ठित उपक्रमों से प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्टेड नहीं होने की निविदादाता की घोषणा

निविदादाता का नाम..

पूर्ण पता ....

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैने/ हमने जिन मालों/स्टोर्स उपकरणों के लिए निविदा दी हैं। उनमें आज दिनांक तक मैं/हम राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार के कार्यालय एवं अन्य प्रतिष्ठित उपक्रमों किसी के भी द्वारा प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हूँ।/है। यदि यह घोषणा असत्य पायी जावें तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जावेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद कर दिया जावें।

हस्ताक्षर निविदादाता फर्म
मय फर्म की मोहर